कार्यालय निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन कमांकः 12/1–2017 प्र0(3) दिनांकः पंचकूला 18.12.2018

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में हिन्दी भाषा का प्रचलन बारे प्राप्त पत्र कमांक 62/24/2016–6जी.एस.। दिनांक 02/01/2019 निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. हरियाणा राज्य स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय।
3. एन0सी0सी0 यूनिटों के सभी कमान अधिकारी।
4. पुस्तकाध्यक्ष, सैन्ट्रल स्टेट लाईब्रेरी, अम्बाला कैन्ट तथा सभी जिला एवं उपमण्डल पुस्तकालय ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

अधीक्षक प्रशासन
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला ।

पृष्ठांकन कमांक : –सम– दिनांकः पंचकूला 30-1-2019

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. निदेशालय के सभी अधिकारी/शाखाध्यक्ष ।
2. निजि सचिव/महानिदेशकउ0शि0, स्टैनो अति0नि0 प्र0
3. प्रशासन शाखा के सभी सहायक ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

अधीक्षक प्रशासन,
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला ।

147-HMY
3/1/19

क्रमांक 62/24/2016–6जी0एस01

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला, करनाल, हिसार, गुडगांव, फरीदाबाद तथा रोहतक मंडल के आयुक्त तथा सभी जिलों के उपायुक्त।
2. रजिस्ट्रार, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़।
3. सभी उप–मण्डल अधिकारी।
4. सभी जिला एंव सत्र न्यायाधीश, हरियाणा।
5. सभी बोर्डो/निगमों के प्रबंधक निदेशक।
6. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

Recd Ad-3 02/1/19

दिनांक, चंढीगढ 2 जनवरी, 2019

विषय **हरियाणा राज्य में हिन्दी भाषा का प्रचलन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार द्वारा जारी हिदायतें क्रमांक 12/45/93–6जी0एस01, दिनांक 25–5–1993 एवं 62/37/98–6जी0एस01, दिनांक 6.10.1999 की ओर आकर्षित करूं जिसके माध्यम से यह निर्देश दिये गये थे कि भविष्य में सभी प्रशासनिक विभाग राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही सरकारी टिप्पणियां व पत्राचार करें। अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित हों। इसी प्रकार भारत सरकार या दूसरे राज्यों से भी पत्राचार हिन्दी में ही किया जाए, परन्तु यदि अत्यावश्यक हो तो एक अंग्रेजी रूपान्तरण साथ में भेजा जाए। इसके अतिरिक्त हिदायतें क्रमांक 62/24/2016–6जी0एस01, दिनांक 8.6.2016 तथा 1.2.2018 द्वारा सभी विभागों/उपायुक्तों/बोर्डो/निगमों आदि को यह निर्देश भी जारी किए गए थे कि उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं मे स्पष्ट अनुवाद करवाएं व अपनी विभागीय website पर उपलब्ध करवाना अपने स्तर पर सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी न हो।

2. सरकार के ध्यान में पुनः लाया गया है कि बार बार निर्देश जारी किए जाने के बाद भी इन इन हिदायतों की पालना नही की जा रही है। विभागों द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 तथा 1969 के प्रावधानों की लगातार अवहेलना की जा रही है तथा कार्यालयों में पत्राचार व कार्य अग्रेज़ी भाषा में ही किया जाता है तथा अधिकतर आदेश भी केवल अंग्रेज़ी भाषा में ही जारी किए जाते हैं जिन्हें समझने में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

3. सरकार द्वारा मामले में गम्भीरता से संज्ञान लिया गया है तथा पुनः सख्त निर्देश दिये जाते हैं कि सभी विभाग राजभाषा हिन्दी में ही टिप्पणियां व पत्राचार करें। अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से संबंधित हो। सभी विभाग उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं मे स्पष्ट अनुवाद करवाना व अपनी विभागीय website पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष आम जनता से पत्राचार हिन्दी भाषा में ही करना तथा सभी विभागीय आदेश हिन्दी भाषा में ही जारी करना व्यक्तिगत स्तर पर सुनिश्चित करें।

3. इन निर्देशों की कड़ाई से पालना करने हेतु सरकार के सख्त आदेश हैं।

Satbir Singh
अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

Satbir Singh
अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव।

अशा.क्रमांक 62/24/2016–6जी0एस01

दिनांक, चंढीगढ 2 जनवरी, 2019